

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
जनपद-विजनौर

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)बी के अनुसार पुलिस विभाग जनपद विजनौर के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है-

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण:-

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निरस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद का पुलिस बल पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है जनपद में कुल 02 अपर पुलिस अधीक्षक, 06 पुलिस उपाधीक्षक व 22 प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के पद सृजित हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर, चांदपुर एवं नजीबाबाद व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी धामपुर, अफजलगढ़ एवं नगीना अपने-अपने कर्तव्यों को निष्पादित करते हैं।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन -जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है।

पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी	थाना क्षेत्र
अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	क्षेत्राधिकारी नगर	1. कोतवाली नगर 2. हल्दौर 3. मण्डावर 4. महिला थाना 5. चांदपुर 6. नूरपुर 7. हीमपुर दीपा 8. शिवाला कलां
	क्षेत्राधिकारी चांदपुर	9. नजीबाबाद 10. किरतपुर 11. मण्डावली
	क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद	

अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	क्षेत्राधिकारी धामपुर	12. नांगल
		13. धामपुर
		14. स्योहारा
		15. नहटौर
	क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़	16. अफजलगढ़
		17. शेरकोट
		18. रेहड
		19. नगीना
	क्षेत्राधिकारी नगीना	20. कोतवाली देहात
		21. बढ़ापुर
		22. नगीना देहात

1.2 जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी:-

क्र०सं०	ईकाई का नाम	पर्यवेक्षक अधिकारी	पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक
1	जिला नियंत्रण कक्ष	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	पुलिस अधीक्षक
2	स्थानीय अभिसूचना इकाई	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	पुलिस अधीक्षक
3	फायर सर्विस	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
4	नगर नियंत्रण कक्ष	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
5	यातायात पुलिस	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	पुलिस अधीक्षक
6	वीआईपी०	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	पुलिस अधीक्षक
7	पुलिस लाईन	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक

<u>8</u>	भवन	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>09</u>	फील्ड यूनिट	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>10</u>	पत्र व्यवहार शाखा	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>11</u>	आंकिक	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>12</u>	विशेष जॉच प्रकोष्ठ	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>13</u>	महिला परामर्श केन्द्र	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>14</u>	डी०सी०आर०बी०	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>15</u>	न्यायालय प्रकरण	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>16</u>	सम्मन सेल	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>17</u>	शिकायत प्रकोष्ठ	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>18</u>	आई०जी०आर०एस०	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>19</u>	मानवाधिकार सैल	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>20</u>	जनसूचना सैल	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>21</u>	सीसीटीएनएस	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>22</u>	किशोर इकाई सैल	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>23</u>	पारपत्र सैल	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>24</u>	साइबर काइम	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>25</u>	वेबसाईट सैल	-	पुलिस अधीक्षक
<u>26</u>	इन्वेस्टीगेशन विंग	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>27</u>	ए०एच०टी०यू० सैल	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक

<u>28</u>	गुमशुदा सैल	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक
<u>29</u>	एस०पी०ओ० कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	पुलिस अधीक्षक
<u>30</u>	इन्टेलीजेन्स विंग	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करे, लोकशांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य-

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं :–

2.1 पुलिस अधिनियम—

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तिया एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारीयों को किसी समय अधिनस्थ पदों को ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जोकि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतीत होता हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा व शान्ति भंग हुई हो या होने की संभावना हो तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करें लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिये वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है इसके लिये उसे बिना वारंट किसी शराब की दुकान जुआघर या किसी भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।

	उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिये वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है इसके लिये उसे बिना वारंट किसी शराब की दुकान जुआघर या किसी भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा ।
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भारसाधन में ले तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दे दे तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति का निरस्तारण करेंगे ।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिये अनुमति देने की शक्ति ।
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उलंघन करने पर थाने के भारसाधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव को रोकने या बिखर जाने का आदेश देने की शक्ति ।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य ।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का वध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेंकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अभिरक्षा में ले लें ।
34क	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यावेक्षण का दायित्व ।

2.2 पुलिस रेगुलेशन-

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जनपदीय पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधिनस्थ पुलिस बल के दक्षता अनुशासन एवं कर्तव्य के पालन के लिये दायित्वाधीन होते हैं । मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के मध्य से ही किये जाते हैं ।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित है तो जनता की समस्या सुनने के लिये कार्यालय में बैठेंगे । उन्हे स्वतंत्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी पुलिस पेन्शनर्स से उनका संपर्क होना चाहिये और उन्हे विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाईन का निरीक्षण करना चाहिये । आवकारी विषयों पर योजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यावेक्षण आवश्यक है ।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेट आवश्यक है । पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जनपद का प्रभार सौंपे जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने सम्बन्धित अंतर्विष्ट अनुदेशों का</p>

		अनुसरण किया जाना चाहिये ।
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक		सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस के निर्देशों पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिये बाध्यकारी न हो ।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक		प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भारसाधक अधिकारी होते हैं। जो जवानों की साज सज्जा अनुशासन प्रशिक्षण के उत्तरदायी होगे आयुध व बारूद की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होते हैं ।
24 रिजर्व सब इंसपेक्टर		रिजर्व सब इंसपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता के लिये नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्टॉट के निर्देशित करने यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के सम्बंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही को करते हैं।
40 से 43सर्किल इंसपेक्टर		सर्किल इंसपेक्टर के कर्तव्यों के सम्बन्ध में उल्लेख है कि जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जॉच पड़ताल की देखभाल करना और अपराध का निवारण करना पुलिस क्षेत्र में निवारक एवं अन्वेषण कार्यों में सामंजस्य रखना थानों का निरीक्षण करना सभी अन्वेषण करना क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक कार्यवाही की सूचना देना लाइसेन्सी दुकानों का निरीक्षण करना अपराधों का दमन और सामंजस्य बनाये रखना से निरन्तर आबद्ध रहना (वर्तमान में सर्किल इंसपेक्टर का पद विभाग में नहीं है इनके कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित के रूप में किया जा रहा है।
43 से 50 थानाध्यक्ष		थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टर अभिलेखों का विवरण और रिपोर्टों की शुद्धता के लिये अधिनस्थों के प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिये । उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से निगरानी करते रहना चाहिये थाने में किसी भी अधिकारी के उपस्थिति न होने पर सीनियर कास्टेबल थाने का भारसाधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफतीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नं० 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेगे ।
51		थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड करना भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधिनस्थ को बताना अन्वेषण करना होता हैं
55 हैड मोहर्रिं		हैड मोहर्रिं के कर्तव्य (1) रोजनामचाआम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना (2) हिन्दी रोकड बही (पुलिस फार्म नं० 244) (3) यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दे दे तो धारा 174 द०प्र०सं० के अन्तर्गत लिखना
61 से 64 बीट आरक्षी		का० ना०पु० द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रतापूर्वक विचार करना चाहिये उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना हैं । थाने पर संतरी डयूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों कैश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्ति की रक्षा करेगा । बीट का० के रूप

	मे संदिग्ध अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप मे खजानो हवालातो के संरक्षक कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते मे देखभाल आयुध भण्डार अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 धुड़सवार	धुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवो या अन्य आयोजनो मे भीड नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3— दण्ड प्रक्रिया संहिता—

दण्ड प्रक्रिया संहिता	अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य
36	थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र मे नियुक्त है उसमे सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग करा सकते है जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं मे करने की शक्तिया 1. संज्ञेय अपराध की दशा मे । 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण 3. उदधोषित अपराधी 4. चुराई गई सम्पत्ति की संभावना 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन मे बाधा डालना 6. सशस्त्र बलो का भगोडा 7. भारत से बाहर भारत मे दण्डनीय किया गया अपराध 8. छोडे गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उलंघन पर 9. वांछित अपराधी
42	नाम और निवास न बताने पर गिरफ्तारी ।
47	उन स्थानों की तलाशी जिसमे ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।

48	गिरफ्तार किये जाने के लिये प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति ।
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिये आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना ।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी ।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से आकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति ।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना ।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का परीक्षण कराया जाना ।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिठ के समक्ष प्रस्तुत करना ।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखा जाना ।
58	बिना वारण्ट गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कही भी गिफ्तार करने की शक्ति ।
100	बन्द स्थान के भारसाधक व्यक्ति ,उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है तलाशी लेने देगे ।
102	ऐसी वस्तुओं के अधिगृहीत करने की शक्ति जिसके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो ।
129	उप निरीठ व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति ।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करना ।
131	जमाव के तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारीयों की शक्ति ।
132	धारा 129,130,131 के अधीन सदभावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से सरक्षण ।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा ।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना ।
151	उक्त के संदर्भ में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार ।

152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार ।
153	खोटे बाट मापो का निरीक्षण / अधिग्रहण ।
154	संज्ञेय अपराधों की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भारसाधक अधिकारी के निर्देशनुसार लेखबद्ध की जायेगी इतिला की प्रतिलिपी सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी
155	असंज्ञेय मामलों में थाने का भारसाधक अधिकारी को ऐसी इतिला का सार सम्बन्धित पुस्तिका में प्रविष्ट करायेगा और इतिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के सामने निर्दिष्ट करेगा ।
156	संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति ।
160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति ।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रयोजनों के आवश्यक हो तलाशी एंव जपती के कारणों को लेख बद्ध किया जायेगा
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति ।
169	सक्ष्य अप्राप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना ।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण को भेज दिया जाना ।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यावाही को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना है।
173	अन्वेषण के समाप्त होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना ।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना ।
175	धारा 174 के अधीन कार्यावाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रयोजन से व्यक्तियों को शमन कारने की शक्ति ।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट को दी जायगी ।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश-

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के० बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिसजनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नामपटिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।

2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के संभान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति की प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने को वह अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
10. जॉच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.5 सक्रिय एवं वांछित अपराधी सम्बन्धी:-

- 1 सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्य योजना बनाकर दबिश दिलवाना।
- 2 फाड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2.6 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण:-

- 1 पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रीकरण हेतु स्रोत बनाना।
- 2 जेल में बंद पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
- 3 जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
- 4 अन्य माध्यमों से आपराधिक अभिसूचनाये एकत्रीकरण करना।

2.7 विशेष अपराधों के सम्बन्ध में:-

- 1 समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
- 2 क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
- 3 क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एसआर केस, राजनीतिक हत्या, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनी खेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंगस्टर एक्ट के कैसों को छोड़कर शेष समस्त एसआर केस की कमागत आख्या का अनुमोदन(प्रथम व अंतिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- 4 क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- 5 फिक्स पिकेट एवं गस्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

6 क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

2.8 अभियोजन:-

न्यायालय में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या में विश्लेषण करना।

2.9 संसद व विधान मंडल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्यः-

संसद व विधान मंडल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों, शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। जिनके आधार पर पुलिस बल में अवेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यावेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर-

3.1 अनुसंधान/विवेचना

क्र० स०	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1	प्र०सूरि० का पंजीकरण	154 द०प्र०सं० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सुचना प्राप्त होने पर थाने के भरसाधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्द की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपी सूचनादाता को निःशुल्क दी जायेगी भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2	सक्षियों का परीक्षण	161 द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीध
3	अन्वेशण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीध
4	पर्यावेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यावेक्षण अधिकारीयों द्वारा घटनास्थ का निरीक्षण किया जाता है	यथाशीध
5	साक्ष्य का संकलन	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीध
6	नक्शा नजरी तैयार करना	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीध
7	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	द०प्र०सं० के अनुसार	यथाशीध

8	स्वीकृति का लिखा जाना	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
9	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
10	तलाशी	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
11	निरुद्धि	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
13	आरोप पत्र का दाखिल करना	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र

3.2 नियन्त्रण कक्षः-

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल दो संघटक के रूप में जनपद में तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करते हैं, जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करते हैं तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देते हैं। नियंत्रण कक्ष बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

क्र0 सं0	नियंत्रण कक्ष	टेलिफोन नं0	कार्य
1	जिला नियंत्रण कक्ष	9454403147	जनपद के सम्बन्ध में सूचनाओं को प्राप्त करना तदानुसार कार्यवाही हेतु सम्बंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है।
3	फायर नियंत्रण कक्ष बिजनौर	(101) 01342-265443	फायर नियंत्रण कक्ष में फायर सर्विस की गाड़िया उपलब्ध रहती है एक टीम प्रत्येक समय तैयारी की स्थिति में रहती है। जो किसी भी आग लगने की सूचना पर तत्काल अपने गंतव्य को रवाना होती है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम ऑपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लॉगबुक में लॉग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षा काल में बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की भी स्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है।

3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया—

3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र०सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी
1	थाने पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष/दिवस अधिकारी /उपस्थित का० कलर्क द्वारा
2	प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगंतुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी/उपस्थित का० कलर्क द्वारा
3	प्रार्थनापत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित का० कलर्क द्वारा
4	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौपना	थाना प्रभारी द्वारा
5	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा
6	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा
7	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही यदि आवश्यक हो करना	थानाध्यक्ष द्वारा
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित का० कलर्क द्वारा

3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थनापत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया –

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी
1	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा से उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा
2	पुलिस अधीक्षक द्वारा या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना ।	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा
4	प्रार्थनापत्र को डाकवाही रजिस्टर में अंकित करना ।	सम्बन्धित लिपिक द्वारा
5	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थनापत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा
6	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के का० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के का० कलर्क द्वारा
7	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी द्वारा प्रार्थनापत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित उ० निः०/ बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी द्वारा

8	जॉच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जॉच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना।	जॉच अधिकारी द्वारा
9	थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी द्वारा जॉच की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना	थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी द्वारा
10	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच सही पाये जाने पर जॉच रिपोर्ट को दफतर दाखिल किया जाना।	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा
11	जॉच रिपोर्ट का रख रखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के काठ कलर्क द्वारा

3.3.3 पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया :-

क्रमांक	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी
1	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थनापत्र का परिशीलन करके सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष /थाना प्रभारी को जॉच हेतु आदेशित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा
2	प्रार्थनापत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित को जॉच हेतु आदेशित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर जॉच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा
4	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के काठ कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के काठ कलर्क द्वारा
5	पुलिस अधीक्षक द्वारा जॉच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने ने पर सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा
6	जॉच रिपोर्ट का रख रखाव	पुलिस अधीक्षक के गोपीनीय कार्यालय के काठ कलर्क द्वारा

3.3.4 फायर सर्विस इकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया—

क्रमांक	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण	

सं०		(द्वारा)	समयावधि
1	पैट्रोल / डीजल पम्प	जिलाधीकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी 15 दिवस
2	पेटी डीलर (फुटकर डीजल / पैट्रोल)	जिलाधीकारी जिलापूर्ती अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उपरोक्त
3	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधीकारी कार्यालय से	उपरोक्त
5	सिनेमाहाल	जिलाधीकारी / मनोरंजन कर अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त
6	होटल / लॉज रेस्टोरेंट धर्मशाला	जिलाधीकारी / पर्यटन अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त
7	व्यवसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण/आवास विकास निगम	उपरोक्त
8	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उधोग केन्द्र	उपरोक्त

3.4 जनपद बिजनौर में यातायात नियमन:-

शहर बिजनौर

- 1— मुरादाबाद से वाया बिजनौर होकर मुजफ्फरनगर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को कृष्णा कॉलिज बाईपास से डायवर्जन कर नगीना चौराहा, मण्डावर चौराहा होते हुये मित्तल पैट्रोल पम्प तिराहे से बैराज रोड भेजा जायेगा।
- 2— इसी प्रकार मुजफ्फरनगर की तरफ से आने वाले मुरादाबाद को जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को भी मित्तल पैट्रोल पम्प तिराहा से डायवर्जन कर मण्डावर चौराहा, सैन्टमैरी चौराह, नगीना चौराहा होते हुये कृष्णा कॉलिज तिराहे से मुरादाबाद भेजा जायेगा।

2.कस्बा चांदपुर

- 1— गजरौला की ओर से आने वाले तथा बिजनौर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को अम्बेडकर चौराहे से वाया बास्टा, जलीलपुर से हीमपुर दीपा होते हुये छाछरी मोड से भेजा जायेगा।
- 2— नूरपुर की ओर से आने वाले चांदपुर होते हुये गजरौला, दिल्ली जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को नूरपुर से शिवाला कला होते हुये अमरोहा की ओर भेजे जायेंगे।
- 3— बिजनौर की ओर से चांदपुर होते हुये गजरौला जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को चांदपुर से पहले तहसील चांदपुर के पास से शुगर मिल चौकी होते हुये हल्दौर खास की ओर भेजा जायेगा।

3.कस्बा नूरपुर

- 1— मुरादाबाद की तरफ से आने वाले बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, हरिद्वार की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को छजलैट तिराहे से डायवर्जन कर स्थौहारा, धामपुर की ओर भेजा जायेगा।
- 2— बिजनौर की तरफ से मुरादाबाद जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को हल्दौर चौराहे से डायवर्जन कर नहटौर, धामपुर होते हुये भेजा जायेगा।
- 3— स्थौहारा से ओर से आने वाले नूरपुर होकर गजरौला, अमरोहा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को धामपुर, बिजनौर होते हुये भेजा जायेगा।

4.कस्बा धामपुर

- 1— काशीपुर, शेरकोट की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को नजीवाबाद, हरिद्वार, बिजनौर, चांदपुर तथा नूरपुर जाने वाले वाहनों को आर०एस०ए० तिराहे से रानी बाग चौकी होते हुये शुगर मिल रोड से जैतरा फाटक होते हुये नहटौर को भेजा जायेगा।

2- हरिद्वार, नजीवाबाद की तरफ से आने वाला मुरादाबाद, काशीपुर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को कोतवाली देहात, से नहटौर से नूरपुर की ओर भेजा जायेगा।

3- बिजनौर, चांदपुर की ओर से जाने वाले काशीपुर, अफजलगढ़ की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को धामपुर से पहले प्रयाग अस्पताल के पास से जैतरा फाटक होते हुये शुगर मिल रोड से रानी बाग चौकी से आर०एस०एम० तिराहे से भेजा जायेगा।

4- मुरादाबाद, स्यौहारा की ओर से आने वाले नजीवाबाद, हरिद्वार, बिजनौर की ओर जाने वाले वाहनों को रानी बाग चौकी से शुगर मिल रोड से जैतरा फाटक होते हुये नहटौर की ओर भेजा जायेगा।

5.कस्बा नगीना

1- हरिद्वार, नजीवाबाद, बिजनौर की ओर से आने वाले तथा अफजलगढ़, काशीपुर, मुरादाबाद की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को कोतवाली देहात तिराहा से नहटौर, धामपुर होते हुये भेजे जायेगा।

2- मुरादाबाद, काशीपुर से आने वाले धामपुर से होकर नजीवाबाद, बिजनौर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को नगीना चौराहा कस्बा धामपुर से नहटौर होते हुये गन्तव्य मार्ग को भेजा जायेगा।

6.कस्बा नहटौर

1- धामपुर की ओर से नहटौर होकर नजीवाबाद, बिजनौर, जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को नगीना चौराहा कस्बा धामपुर से नगीना होते हुये उनके गन्तव्य को भेजा जायेगा।

2- नजीवाबाद, हरिद्वार की तरफ से आने वाले नहटौर होते हुये अमरोहा, चांदपुर की तरफ को जाने वाले वाहनों को कोतवाली देहात तिराहे से बिजनौर होते हुये भेजा जायेगा।

3- नूरपुर की तरफ से नहटौर होकर नजीवाबाद, कोतवाली देहात, काशीपुर की ओर आने वाले वाहनों को नहटौर चौराहा कस्बा नूरपुर से डायर्वर्जन कर बिजनौर होते हुये भेजा जायेगा।

4- बिजनौर से वाया नहटौर होकर धामपुर, काशीपुर को जाने वाले सभी प्रकार के वाहन को नगीना चौराहा कस्बा बिजनौर से डायर्वर्जन कर कोतवाली देहात चौराहा से नगीना होते हुये भेजा जायेगा।

5- बिजनौर की ओर से वाया नहटौर होकर मुरादाबाद की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को काली माता मन्दिर चौराहे से डायर्वर्जन कर कृष्ण कॉलिज तिराहे से नूरपुर होते हुये भेजा जायेगा।

7.कस्बा नजीवाबाद

1- हरिद्वार की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को को भुडडी चौराहा(थाना मण्डावली के सामने) से नांगल, मण्डावर, बिजनौर होते हुये गन्तव्य को भेजा जायेगा।

2- हरिद्वार से कोटद्वार जाने वाले वाहनों को चिडियापुर नहर पटरी से भेजे जायेगे।

3- कोटद्वार से वाया नजीवाबाद होकर बिजनौर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को बशीरपुर नहर तिराहे से देव पैट्रोल पम्प होते हुये भेजा जायेगा।

4- बिजनौर से कोटद्वार वाया नजीवाबाद होकर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को देव पैट्रोल पम्प तिराहे से नहर पटरी के रास्ते गन्तव्य को भेजा जायेगा।

5- धामपुर, कोतवाली देहात से आने वाले वाया नजीवाबाद होकर हरिद्वार जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को बाईपास पास नजीवाबाद होते हुये देव पैट्रोल पम्प से आजाद तिराहे से गन्तव्य को भेजा जायेगा।

8.कस्बा स्यौहारा

1- मुरादाबाद की ओर से आने वाले वाया स्यौहारा होकर धामपुर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को छजलैट तिराहे से नूरपुर होते हुये गन्तव्य को भेजा जायेगा।

2- धामपुर की ओर से आने वाले वाया स्यौहारा होकर मुरादाबाद की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को आर०एस०एम० तिराहा से काशीपुर होते हुये भेजा जायेगा।

3- नूरपुर की ओर से स्यौहारा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबधित कर दिया जायेगा।

3.6 प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 618 / 6-पु0-2-2006-200(3)94-टीसी दिनांक 29.06.2006 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना-

क्र० सं०	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1	मोटर चालक द्वारा बिना लाईसेंस गाड़ी चलाना	3 / 181	500

2	किसी अव्यसक द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उससे चलाना	4 / 181	500 व 3 माह का कारावास व दोनों
3	बिना लाइसेन्स गाड़ी चलाना	5 / 181	1000 व 3 माह कारावास या दोनों
4	बिना पंजीकरण गाड़ी चलाना	39 / 192	5000—10000 जुर्माना या 6 माह कारावास या दोनों
5	बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना	56 / 192	2000—3000 जुर्माना या 6 माह कारावास या दोनों
6	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना	66 / 192	2000—3000 जुर्माना या 6 माह कारावास या दोनों
7	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112 / 183	400—1000
8	एक दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000—2000
9	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना/यातायात के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000 / 2000
10	शांति क्षेत्र में आज्ञाओं का उल्लंघन करना	115 / 194	1000—2000
12	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115 / 194	1000—2000
13	बिना किसी संकेत के स्ट्रेयरिंग का बायी तरफ होना	120 / 177	100—300
14	यातायात चिन्हों का पालन न करना	119 / 177	100—300
15	बिना संकेत के गाड़ी चलाना	121 / 177	100—300
16	खतरनाक दशां में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो	122 / 177	100—300
17	गाड़ी की छत, बोनट पायदान पर बैठ कर यात्रा करना या ले जाना	123 / 177	100—300
18	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	124 / 177	200—300
19	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना	128 / 177	150—300
20	बिना हैलमेट गाड़ी चलाना	129 / 177	1000 व तीन माह तक लाइसेंस रद्द
21	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज मागने पर परेशान करना	130 / 177	150—300

22	किसी टैक्सी या किसी तिपहिया टैम्पू द्वारा सवारी ले जाने से इनकार करना	178(3)	50—200
23	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर परेशान करना	132 / 179	250—500
24	स्टाप लाइन का उल्लंघन करने पर	17 / 177	100—300
25	दोषपूर्ण नम्बर प्लेट	16 / 177	100—300
26	अधिक धुआं वाहन से निकलना	190(2)	1000—2000
27	बिना इन्श्योरेन्स के वाहन चलाना	146 / 196	100 व तीन माह की कारावास
28	भार वाहन मे पशुओं को ले जाना	59 / 177	150—300
30	भार वाहन मे अधिक यात्री ले जाना	46 / 177	150—300
31	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन करना	119 / 177	300—500
32	बाये से गाड़ी ओवर टेक करना	110 / 177	100—300
33	बेतहासा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	184 / 202	1000—2000 दो वर्ष की कारावास या दोनों
34	शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके गाड़ी चलाना	185 / 202	2000—10000 दो वर्ष की कारावास या दोनों
35	मालिक की अनुमति के बिना गाड़ी चलाना	197 / 202	1000—2000 दो वर्ष की कारावास या दोनों
36	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठा कर वाहन चलाना	125 / 177	100—300
37	गाड़ी के रनिंग बोर्ड मे सवारी लादना, बोनट पर लटकाकर ले जाना	123 / 177	100—300

परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या -स0सु0/2017-14 स0सु0/2016 दिनांक 11.05.2017 के अनुपालपन मे उपरोक्त धाराओं मे किसी भी वाहन के अभिलेखों को चैक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के है०काँ० (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके उपर के समस्त अधिकारिया मे निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों मे चालान की प्रवक्ष्यिया की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/ क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद रंग की प्रति को कार्यालय मे रिकार्ड के रूप मे रखा जाता है। जनपद मे उक्त अधिनियमो मे समायोजन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो सम्बन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिरो के कार्यालय भेज दिये जाते है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहन को निरुद्ध किया जाता है, जिनका समायोजन केवल सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड

4.1 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

1. भारतीय संविधान में पुलिसजन द्वारा पूर्ण निष्ठा से संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये अधिकारों का पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिसजन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने-बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिसजन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिसजन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं, जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिसजन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिसजन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिसजन द्वारा विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिसजन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिसजन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोकतांत्रिक राज्य के पुलिसजन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाईचारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख क्र०स० अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम:-

- 1 पुलिस अधिनियम 1861
- 2 भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- 5 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- 6 साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7 आमर्स एक्ट 1959
- 8 सिविल अधिकार संरक्षण अधिकार 1955
- 9 अनु०जाति व अनु०जनजाति० अधिनियम 1989
- 10 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिकार 1949
- 11 आवश्यक वस्तु अधिकार 1955(उ०प्र०संशोधन अधिकार 1978)
- 12 चोर बाजारी नियम 0 और आवश्यक वस्तु प्रदान अधिकार 1980
- 13 खाद्य अपमिश्रण नियम 1954
- 14 उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986
- 15 पशु अतिचार अधिकार 1861
- 16 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- 17 बन्दी अधिनियम 1900
- 18 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867

- 19 किशोर न्याय अधिनियम 1986
- 20 दहेज प्रतिशेष अधिनियम 1961
- 21 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
- 22 स्वापक औशधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 23 स्वापक औशधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
- 24 बन्दियों की शिनारख अधिनियम 1930
- 25 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
- 26 विस्फोटक अधिनियम 1884
- 27 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
- 28 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
- 29 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
- 30 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- 31 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेष अधिनियम 1986
- 32 भारतीय वन अधिनियम 1927
- 33 वन संरक्षण अधिनियम 1980
- 34 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
- 35 बन्दी न्यायालयों में उपरिथित अधिनियम 1955
- 36 विश अधिनियम 1919
- 37 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
- 38 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनयम 1994
- 39 रेल अधिनियम 1989
- 40 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
- 41 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
- 42 पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
- 43 पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
- 44 राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
- 45 केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
- 46 व्याज अधिनियम 1978
- 47 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
- 48 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
- 49 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999
- 50 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970
- 51 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
- 52 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
- 53 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
- 54 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
- 55 उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
- 56 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
- 57 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
- 58 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
- 59 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964
- 60 उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964
- 61 उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
- 62 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994
- 63 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
- 64 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- 65 वित्तीय हस्त पुरितका
- 66 समय-समय पर निर्गत शासनादेश

67 उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश
 इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्यप्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती हैं।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्र०सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के सम्बन्ध में दी गई सूचनाएँ एवं विवेचक के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थानों पर
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफतारी पुलिस अधिकारी/ कर्मचारीगण की रवानगी वापसी डयूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में
3	सभी स्टैन्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर
4	भगोड़ा (मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर
5	रोकड़ बही	धनराशी की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/पुलिस लाइन
6	आरोप पत्र	अभियागों में प्रषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थानों पर
7	चिक खुराक	अभियुक्तों के भेजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है।	सभी थानों में
8	356दं0प्र0सं०के अधिन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	— सभी थानों में
9	432 दं0प्र0सं० के अधिन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी थानों में
10	गोपनीय साप्ताहिक रिपोर्ट	थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	सभी थानों में
11	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुई अपराधिक घटना का विवरण	सभी थानों में
12	चौकीदारों का	चौकीदारों के ग्रंथम में घटित घटनाओं का सूची चौकीदारों के पास	

	अपराध नोटबुक	विवरण	
13	ग्राम अपराध रजि०(रजि०नं०८)	उस गाव मे धटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानो मे
14	डिफाल्टर रजि०	कर्मचारी की त्रुटी व उसके लिये दी गई हिदायत का उल्लेख	सभी थानो/पुलिस लाइन मे
15	केस डायरी	विवेचना मे कृत कार्यवाही काविवरण	सभी थानो/विवेचको के पास
16	अन्तिम रिपोर्ट	अभियाग मे विवेचना उपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थानो मे
17	अंगुष्ठ छाप रजि०	अपराधियो का नाम पता जिसका अंगुष्ठछाप किया है	सभी थानो मे
18	चिक गैरदस्तनदाजी	अहस्तक्षेपिय अपराधो की सूचना हेतु	सभी थानो मे
19	गिरोह रजि०	पंजीकृत गैगो का विवरण	सभी थाना / डी०सी०आर०बी० मे
20	मरम्मत रजि०	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानो मे
21	जॉच पर्ची अ	थानाक्षेत्र के दुराचारियो के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	सभी थानो मे
22	जॉच पर्ची ब	थानाक्षेत्र मे मिलने वाले संदिग्ध आचरण के वयक्तियो के लिये जारी पत्र	सभी थानो मे
23	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियो का विवरण	सभी थानो मे
24	पंचायतनामा जिल्द	अस्वाभविक मृत्यु की जॉच का विवरण	सभी थानो मे
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थाना/शाखओ मे मे
26	माल मशरुका रजि०	चोरी व लूटी गई एवं बरामद संपत्ति का विवरण	सभी थानो मे
27	रिमाण्ड शीट	अभिओ की रिमाण्ड के लिये अनुरोध पत्र	सभी थानो मे
28	मजिं० के लिये निरीक्षण पुस्तिका	मजिं० के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थानो मे
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियो को पाबंद करने हेतु	सभी थानो मे
30	110 दं०प्र०सं० के	अभ्यस्त अपराधियो को पाबंद करने हेतु	सभी थानो मे

	अन्तर्गत कार्यवाही		
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनाये।	सभी थानों में
32	परिपत्र सूचनाओं की फाईल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में
33	परिपत्र अनुदेशों की फाईल	परिपत्र संबंधि निर्देश	सभी कार्यालयों में
34	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधी जनजातियों के संबंध में	सभी थानों में
35	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों की सूची	सभी थानों में
36	आर्डर बुक प्रार्थनापत्र	प्रार्थनापत्रों की सूची	सभी थानों में
37	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	सभी थानों में
38	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थनापत्र	प्राप्त प्रार्थनापत्रों की सूची	सभी थानों में
39	भवन रजिस्टर	थानों की खसरा खतौनी व भवनों के सम्बन्ध में	सभी थानों में
40	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में	सभी थानों में
41	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में	सभी थानों में
42	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों के संबंध में	सभी थानों में
43	काजलिस्ट	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	सभी थानों में
44	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय / अन्य कार्यालय से प्राप्त शिकायती प्राप्त पत्र	सभी थानों/कार्यालय में
45	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में	सभी थानों में
46	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारीयों के संबंध में	सभी थानों में
47	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख-

क्रमांक	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरीयों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5 वर्ष
2	जैड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
3	आर्डरबुक प्राप्ति	प्राप्ति की सूची प्राप्ति की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5 वर्ष
4	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5	आर्डरबुक शस्त्र प्राप्ति	प्राप्त शस्त्र प्राप्ति की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5 वर्ष
6	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	1 वर्ष
7	विशेष अपराध पत्रावलिया	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
8	जॉच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जॉच के संबंध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5 वर्ष

6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्रमांक	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी
1	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पलिस अधीक्षक कार्यों में
2	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
3	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यों में

4	अवकाश रजिस्टर	आकर्षित अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
5	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
6	जांच पत्रावलिया	शिकायतों की जांच के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में

6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख-

क्र०सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	ईकाई/ शाखा जहां उपलब्ध होगी
1	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	प्रधान लिपिक कार्यालय में
2	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
3	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
4	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में
5	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय
6	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
7	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
8	नियुक्त रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
9	सर्विस बुक / चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय
10	कैश बुक / पे- बिल रिजस्टर	समस्त भुगतानों के लेन देन के संबंध में	आंकिक शाखा
11	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के समंध में	आंकिक शाखा
12	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाइन
13	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन

7. जनता की परामर्शदात्री समितियां-

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उमकै द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर नीति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

ब्र०सं०	समिती का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव मे 15-20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है।	गाँव मे धटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेन्शनर्स के द्वारा गठित समिति	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रिमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे जनपद के उधमियों की बैठक	उद्योग के विकास मे आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु।	त्रिमासिक
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारीयों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु।	त्रिमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकारिता	जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु।	त्रिमासिक
6	शान्ति समिति	क्षेत्र के संभ्रान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने हेतु।	आवश्यकतानुसार
7	मेला समिति	मेले से संबंधित संभ्रान्त व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु।	मेले के आयोजन के पूर्व
8	संसद व विधायकगण की गोष्ठी	समस्त संसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव/परामर्श के लिये	मासिक

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय-

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री:-

जनपद बिजनौर के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

क्र सं	पदनाम अधिकारी	एसटीडी	फोन नम्बर		मोबाइल
			कार्यालय	आवास	
1	पुलिस अधीक्षक	01342	262002	261071	9454400254
2	अपर पुलिस अधीक्षक नगर	01342	262002	261512	9454401025
3	अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण	01342	262002	292092	9454401026
3	क्षेत्राधिकारी नगर	01342	—	—	9454401531
4	क्षेत्राधिकारी चांदपुर	01345	—	220538	9454401533
5	क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद	01341	—	221300	9454401532
6	क्षेत्राधिकारी धामपुर	01344	—	230262	9454401534
7	क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़	01343	—	240596	9454401536
8	क्षेत्राधिकारी नगीना	01343		250274	9454401535
8	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	01342	265443	—	9454418355
9	जिला नियंत्रण कक्ष	01342	261368	—	9454403147
10	फायर सर्विस	01342	265443		9454418547
11	काइम ब्रान्च	—	—	—	—
12	स्थानीय अभिसूचना इकाई	01342	262775		9454402073
13	प्रतिसार निरीक्षक	01342	262820		9454402343
14	थाना कोतवाली शहर	01342	262810	—	9454403132
15	थाना हल्दौर	01342	275223	—	9454403129
16	थाना मण्डावर	01342	276222	—	9454403134
17	महिला थाना	01342	—	—	9454404776
18	थाना चांदपुर	01345	220715	—	9454403127
19	थाना नूरपुर	01345	245253	—	9454403141

20	थाना हीमपुर दीपा	01345	2272032	—	9454403130
21	थाना शिवाला कलां	01345	271330	—	9454403144
22	थाना नजीबाबाद	01341	220029	—	9454403139
23	थाना किरतपुर	01341	240221	—	9454403131
24	थाना मण्डावली	01341	253004	—	9454403140
25	थाना नांगल	01341	250032	—	9454403135
26	थाना धामपुर	01344	230018	—	9454403128
27	थाना स्यौहारा	01344	252352	—	9454403145
28	थाना नहटौर	01344	262020	—	9454403138
29	थाना अफजलगढ़	01343	240023	—	9454403125
30	थाना शेरकोट	01344	245084		9454404143
31	थाना रेहड	01343	269016	—	9454403142
32	थाना नगीना	01343	250121	—	9454403136
33	थाना कोतवाली देहात	01343	260100		9454403133
34	थाना बढ़ापुर	01343	265452		9454403126
35	थाना नगीना देहात	01343	268044		9454403137

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक –

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद नाम	वेतनमान/पे बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	पुलिस अधीक्षक	रु० 15600 से 39100	—	450
2	अपर पुलिस अधीक्षक	रु० 15600 से 39100	800	300
3	पुलिस उपाधीक्षक	रु० 15600 से 39100	800	300
4	निरीक्षक	रु० 9300 से 34800	1200	188
5	उप निरीक्षक	रु० 9300 से 35800	1200	188
6	मुख्य आरक्षी	रु० 5200 से 20200	1500	188

7	आरक्षी	₹0 5200 से 20200	1500	188
8	अनुचर	₹0 5200 से 20200	1350	156

10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद नाम	पूर्व वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	रेडियो निरीक्षक	₹0 9300 से 34800	1200	188
2	रेडियो अनुरक्षण अधिकारी	₹0 9300 से 34800	1200	188
3	हैड आपरेटर	₹0 5200 से 20200	1500	188
4	सहायक परिचालक	₹0 5200 से 20200	1500	188
5	अनुचर/संदेशवाहक	₹0 5200 से 20200	1350	188

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद नाम	पे बैण्ड/वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1	2	3	4	5
2	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	₹0 9300 से 34800	800	300
3	अग्निशमन अधिकारी/द्वितीय अग्निशमन अधिकारी	₹0 9300 से 34800	1200	188
4	लीडिंग फायरमैन/हेड काउं/ड्रा०	₹0 5200 से 20200	1500	188
5	फायरमैन	₹0 5200 से 20200	1500	188
6	चतुर्थ श्रेणी	₹0 5200 से 20200	950	188

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र०सं०	पद नाम	पूर्व वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशेष भत्ता
1	2	3	4	5	6
1	एस०आई०एम०/स्टेनो	रु० 5200 से 20200	1200	188	
2	ए०एस०आई०एम०/स्टेनो	रु० 5200 से 20200	1200	188	
6	उर्दू अनुवादक/वरिष्ठ लिपिक	रु० 5200 से 20200	

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र०सं०	पद नाम	पूर्व वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	विशेष भत्ता
1	2	3	4	5	6
2	मुख्य आरक्षी चालक	रु० 5200 से 20200	1500	188	300
3	आरक्षी चालक	रु० 5200 से 20200	1500	188	300

10.6 स्थानीय अभिसूचना ईकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

क्र०सं०	पद नाम	पूर्व वेतनमान	पौष्टिक आहार भत्ता	विशेष भत्ता
1	2	3	4	6
1	निरीक्षक/उ०नि०	रु० 9300 से 34800	1200	2000
2	मुख्य आरक्षी	रु० 5200 से 20200	1500	1000
3	आरक्षी	रु० 5200 से 20200	1500	1000

11. बजट

क्रमांक	लेखा शीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष 2019-2020	
		अनुदान	व्यय
1.	वेतन	1135747000	982738554
2.	महगाई	179282000	146758205
3.	अन्य भत्ते	54864500	70724289
4.	यात्रा भत्ता	22579000	17894754
5.	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	2740000	1491094
6.	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	106000	97699
7.	कार्यालय व्यय	494000	368718
8.	विद्युत प्रकाश व्यय	11607000	10428993
9.	स्टेशनरी पर व्यय	-	-
10.	टेलिफोन पर व्यय	-	-
11.	पेट्रोल डीजल पर व्यय एवं मोटर गाड़ीयों की मरम्मत	16132000	15404900
12.	किराया उपशुल्क कर	789000	789000
13.	पुरस्कार	186000	186000
14.	अनुरक्षण (भवन)	1500000	1500000
15.	कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी कथ	407210	220988
16.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	7861000	7859139
17.	जलकर/जलप्रभार	526000	526000
18.	वर्दी भत्ता	-	-
19.	मजदूरी	150000	149529
20.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	59334	59334
21.	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय(यू०पी-112)	299700	299700
22.	मशीन एवं साज सज्जा	300000	300000

23.	गुप्त सेवा पर व्यय	23200	14000
24.	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान ₹० ५००-०० प्रति दिवस होमगार्डों को भुगतान हेतु	121492200	94785192
25.	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं पर व्यय(यू०पी०-११२ होमगार्डों को भुगतान)	17703282	15989728
26.	शवान अनुरक्षण (109-03)	194225	131389
27.	कार्यालय व्यय (ग्राम चौकीदार) टायर , ट्यूब , टॉर्च अनुरक्षण	432470	0
28.	व्यवसायिक सेवाएं (रिट फीस व्यय)	650000	646060
29.	डीजल पेट्रोल / अनुरक्षण पर व्यय (यू०पी० 112 डायल)	2413500	2409816
30.	19- विज्ञापन , बिक्री और विख्यापन व्यय (यू०पी० 112)	267600	243700
31.	सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	75000	25541
32.	एसएएफ (सुख सुविधा)	255500	251997
33.	लावारिस शबो के अन्तिम संस्कार हेतु व्यय	156600	156600
34.	कल्याण निधि	338000	335600
35.	अन्य व्यय (शांति व्यवस्था हेतु)	294290	0
36.	अन्य व्यय (स्टूड़ेंट पुलिस कैडेट)	1110000	1110000
37.	अवकाश यात्रा व्यय	330000	330000
38.	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	70684728	70684728
39.	मकान किराया भत्ता	254580000	21803637
40.	नगर प्रतिकार भत्ता	3057000	2164641

12. सभिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधाएँ

क्र 0स0	कार्य	कार्यालयी किस स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अ0पु0आ0 सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो सम्बन्धित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10.00 बजे से शाम 17.00 बजे तक (राजकीय अवकाशों को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु0 प्रथम घण्टा प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु0 प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क	उपरोक्त	उपरोक्त
6	सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित परिपत्रों को कार्यालय से पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा तथा अतिरिक्त प्रतिया होने पर अतिरिक्त शुल्क वहन करना होगा	सम्बन्धित व्यक्ति	कार्यालय समय से

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना(25000 रु0 अनाधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम:-

जनपद बिजनौर पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है :-

क० स०	जनपदीय जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जनपदीय सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	अपीलीय अधिकारी का नाम
1	अपर पुलिस अधीक्षक, नगर विजनौर। (9454401025)	क्षेत्राधिकारी नगर (9454401531) क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद (9454401532) क्षेत्राधिकारी चांदपुर (9454401533) क्षेत्राधिकारी धामपुर (9454401034) क्षेत्राधिकारी नगीना (9454401535) क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ (9454401536)	पुलिस अधीक्षक, विजनौर। (9454401025)

17 अन्य कोई विहित सूचना

शून्य